झारखण्ड परिचारिका निबंधन परिषद्

स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग
झारखण्ड, राँची

पुरूलिया रोड, सिविल सर्जन राँची के कार्यालय के बगल परिसर, राँची, झारखण्ड–834001
ई–मेलः registrarjnrc@rediffmail.com, वेबसाईटः www.jnrcranchi.com

पत्रांकः– 215/JNRC दिनांकः– 10-03-2023

सूचना

स्वास्थ्य विभागीय आदेश संख्या 28(10) दिनांक–16.02.2023 द्वारा राज्यांतर्गत संचालित नर्सिंग संस्थान (1) ए0 वी0 स्कूल ऑफ नर्सिंग, कोकर, राँची, (2) रॉयल प्रोफेशनल कॉलेज, टाटीसिलवे, राँची एवं (3) एंजेल कॉलेज ऑफ नर्सिंग, सिमडेगा के विरूद्ध प्रशासी विभाग को प्राप्त परिवाद के आलोक में जाँचोपरान्त उक्त सभी संस्थान भारतीय उपचर्या परिषद् (Indian Nursing Council) द्वारा निर्धारित मापदण्डों को पूरा नहीं करने के संस्थान का निबंधन समाप्त करने तथा अगले सत्र (2023–2024) से संस्थान मे नर्सिंग पाठ्यक्रम में नामांकन पर रोक लगाने का निर्णय लिया गया है।

उक्त के आलोक में (1) ए0 वी0 स्कूल ऑफ नर्सिंग, कोकर, राँची, (2) रॉयल प्रोफेशनल कॉलेज, टाटीसिलवे, राँची एवं (3) एंजेल कॉलेज ऑफ नर्सिंग, सिमडेगा का मान्यता झारखण्ड परिचारिका निबंधन परिषद् से तत्काल प्रभाव से समाप्त किया जाता है तथा आगामी सत्र (2023–24) से उक्त शिक्षण संस्थानों में नामांकन पर रोक लगाई जाती है।

10/03/23
निबंधक,
झारखण्ड परिचारिका निबंधन परिषद्
झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांकः– 215/JNRC दिनांकः– 10-03-2023

प्रतिलिपिः–

1. श्रीमती सीमा कुमारी उदयपुरी, सरकार के संयुक्त सचिव, स्वा0चि0शि0 एवं प0क0 विभाग झारखण्ड को सूचनार्थ प्रेषित।
2. निदेशक प्रमुख–सह–अध्यक्ष, झारखण्ड परिचारिका निबंधन परिषद्, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।
3. अध्यक्ष/निदेशक/प्राचार्य, ए0वी0 स्कूल ऑफ नर्सिंग, कोकर, राँची/ रॉयल प्रोफेशनल कॉलेज, टाटीसिलवे, राँची/ एंजेल कॉलेज ऑफ नर्सिंग, सिमडेगा को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

10/03/2023
निबंधक,
झारखण्ड परिचारिका निबंधन परिषद्
झारखण्ड, राँची।